(2) उपरोक्त के अतिरिक्त पूल्ड कार की सुविधा के अन्तर्गत 4 न्यायिक अधिकारियों के मध्य 1 पूल कार उपलबध करायी जायेंगी, जिसके लिए महानगरीय शहरों में 150 लीटर एवं अन्य स्थानों पर 125 लीटर पेट्रोल मासिक की सीमा तक अनुमन्य होगा।

(3) जिन न्यायिक अधिकारियेां के पास अपना निजी वाहन है, उन्हें निम्नानुसार पेट्रोल/डीजल देय होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति व्यय प्रमाणक के आधार पर की जायेगी :–

शहर/स्थान की श्रेणी	अनुमन्य पेट्रोल/डीजल की अधिकतम मात्रा (लीटर में)
ए और ए–1 श्रेणी के शहर	75
जिला मुख्यालय	50

नोट– जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी वाहन है तथा वे उपरोक्तानुसार पेट्रोल/डीजल का मूल्य प्राप्त करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें पूल कार की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। पूल कारों की आवश्यकता का आगणन तदनुसार ही किया जायगा।

(4) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी स्कूटर/मोटर साइकिल है उन्हें प्रतिमाह 25 लीटर पेट्रोल देय होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति व्यय–प्रमाणक के आधार पर की जायेगी।

2. अतिथि सत्कार भत्ता

न्यायिक अधिकारियों को निम्न दर से अतिथि सत्कार भत्ता अनुमन्य होगा :–

क्र.सं.	न्यायिक अधिकारी की श्रेणी	मासिक भत्ता (रुपये में)
1.	जिला जज/अपर जिला जज	1000
2.	सिविल जज (सीनियर डिवीजन)	750
3.	सिविल जज (जूनियर डिवीजन)	500

शा०सं०- 6058/दो-4-05-45(12)/91 टी०सी०
लखनऊ

पोशाक भत्ता

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को 5 वर्ष की अवधि में एक बार रु0 5000 की एक मुश्त राशि पोशाक भत्ता के रूप में देय होगी। इस प्रयोजनार्थ प्रथम पांच वर्ष की अवधि 21 मार्च, 2002 से समझी जायेगी।

समाचार पत्र/पत्रिका

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को एक राष्ट्रीय तथा एक क्षेत्रीय समाचार पत्र व एक पत्रिका (पत्रिका का मूल्य 50 रु0 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा) की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति मूल वाउचर के आधार पर की जायेगी।

दूरभाष सुविधा

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के आवास एवं कार्यालय में शासकीय व्यय पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध रहेगी। कार्यालय में सभी टेलीफोन एस.टी.डी. युक्त होंगे, परन्तु आवास पर टेलीफोन के साथ एस.टी.डी. की सुविधा केवल उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों एवं मुख्य न्यायिक महानगरीय मजिस्ट्रेट को ही अनुमन्य होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न सीमाओं के अनुसार निःशुल्क काल की सुविधा भी अनुमन्य
:—

क्रमांक	अधिकारी की श्रेणी	2 माह के लिए निःशुल्क काल की सीमा	
		कार्यालय	आवास
1.	जिला जज/सत्र न्यायाधीश	3000	2000
2.	अतिरिक्त जिला जज/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	2000	1000
3.	सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं चीफ जूडीशियल/महानगरीय मजिस्ट्रेट	2000	1000
4.	सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मजिस्ट्रेट	1500	750

आवास पर विद्युत एवं जल शुल्क की प्रतिपूर्ति

न्यायिक अधिकारियों के आवास पर उनके द्वारा विद्युत एवं जल के उपयोग के

सम्बन्ध में किये गये भुगतान के 50 प्रतिशत के बराबर परन्तु अधिकतम् रु0 500 प्रतिमाह की संयुक्त सीमा तक प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। यह प्रतिपूर्ति भुगतान किये गये बिलों को मूलरूप में प्रस्तुत करने पर देय होगी।

7. **आवास/मकान किराया भत्ता :**

समस्त न्यायिक अधिकारी अपनी पात्रता के आधार पर निःशुल्क सरकारी आवास आवंटित करवाने के हकदार होंगे। सरकार द्वारा आवास उपलब्ध न करवाये जाने की स्थिति में शासन के संगत आदेशों के अनुसार सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी को मकान किराया भत्ता देय होगा।

8. **अतिरिक्त प्रभार भत्ता :**

न्यायिक अधिकारियों को किसी दूसरे न्यायिक अधिकारी का प्रभार यदि 10 कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिए दिया जाता है तथा न्यायिक अधिकारी इस अवधि में अतिरिक्त पद के न्यायिक कार्य का निष्पादन करते हैं तो उसे अतिरिक्त प्रभार के पद के वेतनमान के न्यूनतम के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त प्रभार भत्ता अनुमन्य होगा।

9. **अवकाश नगदीकरण :**

न्यायिक अधिकारियों को 2 वर्ष में एक माह तक का अवकाश नगदीकरण लेने की सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसी सुविधा लेते समय अवकाश लेने के लिए अधिकारी को बाध्य नहीं किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ प्रथम 02 वर्ष की अवधि 21 मार्च, 2002 से प्रारम्भ मानी जायेगी।

10. **अवकाश यात्रा सुविधा :**

न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक 4 वर्ष की अवधि में एक बार अवकाश यात्रा सुविधा उपलब्ध रहेगी। अवकाश यात्रा का प्रथम बार उपभोग करने के लिए 5 वर्ष की निरन्तर सेवा आवश्यक होगी तथा सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व से इस सुविधा का उपभोग नहीं किया जा सकेगा। न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि में, अपने गृह–जनपद के लिए अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी। अवकाश यात्रा सुविधा के लिए प्रथम 04 वर्ष की अवधि 21 मार्च, 2002 से प्रारम्भ मानी जायेगी।

उपरोक्त अवकाश यात्रा सुविधा हेतु रेल/वायुयान की श्रेणी से सम्बन्धित पात्रता की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान

न्यायिक अधिकारियों को स्थानान्तरित होने पर 20 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थानान्तरण की दशा में एक माह के मूल वेतन के बराबर तथा 20 कि.मी. से कम की दूरी पर स्थानान्तरण, जिसमें निवास स्थान वास्तव में परिवर्तित हो, की दशा में एक माह के मूल वेतन के एक तिहायी के बराबर धनराशि एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान के रूप में अनुमन्य होगा।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति / चिकित्सा भत्ता

न्यायिक अधिकारियों एवं उनके परिवार-जन को सरकारी अस्पतालों / औषधालयों, प्रदेश शासन द्वारा चिकित्सा-उपचार हेतु मान्यता-प्राप्त गैर सरकारी अस्पतालों / औषधालयों एवं अन्य चिकित्सालयों में चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदेश शासन के तद्विषयक संगत नियमों / आदेशों के अधीन अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को रुपये 100 प्रतिमाह का चिकित्सा भत्ता भी अनुमन्य होगा।

(2) उपर्युक्त अदेश दिनांक 21 मार्च, 2002 से प्रभावी माने जायेंगे परन्तु शासनादेश निर्गत होने से पूर्व की किसी अवधि के लिए इन भत्तों / सुविधाओं का उपयोग करने के लिए यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी की स्वीकृति, व्यय-प्रमाणक प्रस्तुत करने इत्यादि जैसी निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जायगी तथा पूर्व में शासन के आदेशों के अन्तर्गत इन भत्तों / सुविधाओं के अन्तर्गत किये गये भुगतान का समायोजन किया जायेगा।

(3) उपरोक्त भत्तों / सुविधाओं के सम्बन्ध में शासन द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेश तद्नुसार अतिक्रमित समझे जायेंगे।

(4) उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अंशासकीय पत्र संख्या-जी-1442 / दस-06, दिनांक-जनवरी 20, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
दीपक त्रिवेदी
सचिव

संख्या–6058/दो–4–05–45(12)/91 टी.सी.

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियमित अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक : 27 जनवरी, 2006

विषय : प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुति एवं उस क्रम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में दिनांक–21 मार्च, 2002 एवं दिनांक 06.12.2005 को पारित आदेश के संदर्भ में उ0प्र0 राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को भत्ते/सुविधाएं प्रदान किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुति तथा उस क्रम में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1022/1989 आल इण्डिया जजेज़ एसोसिएशन एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक – 21 मार्च 2002 एवं दिनांक – 06.12.2005 को पारित आदेशों के संदर्भ में निम्नानुसार भत्ते/सुविधाएं अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की गयी है :–

1. वाहन सुविधा/वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता

(1) प्रत्येक जिला जज, जिला जज स्तर के लघुवाद न्यायाधीश, वरिष्ठतम अतिरिक्त जिला जज तथा मुख्य न्यायिक/महानगरीय मजिस्ट्रेट, को एक स्वतन्त्र वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)

संख्या-6058/दो-4-05-45(12)/91 टी.सी.

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 27 जनवरी, 2006

विषय: - प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुति एवं उस कम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-1022/1989आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में दिनांक-21 मार्च, 2002 एवं दिनांक-06.12.2005 को पारित आदेश के संदर्भ में उ0 प्र0 राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को भत्ते/सुविधाएं प्रदान किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुति तथा उस कम में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक-21 मार्च, 2002 एवं दिनांक-06.12.2005 को पारित आदेशों के संदर्भ में निम्नानुसार भत्ते/सुविधाएं अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की गयी है: -

1. वाहन सुविधा/वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता

(1) प्रत्येक जिला जज, जिला जज स्तर के लघुवाद न्यायाधीश,वरिष्ठतम अतिरिक्त जिला जज तथा मुख्य न्यायिक/महानगरीय मजिस्ट्रेट, को एक स्वतन्त्र वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त पूल्ड कार की सुविधा के अन्तर्गत 4 न्यायिक अधिकारियों के मध्य 1 पूल कार उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके लिए महानगरीय शहरों में 150 लीटर एवं अन्य स्थानों पर 125 लीटर पेट्रोल मासिक की सीमा तक अनुमन्य होगा।

(3) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी वाहन है, उन्हें निम्नानुसार पेट्रोल/डीजल देय होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति व्यय प्रमाणक के आधार पर की जायेगी: -

शहर/स्थान की श्रेणी	अनुमन्य पेट्रोल/डीजल की अधिकतम मात्रा (लीटर में)
ए और ए-1श्रेणी के शहर	75
जिला मुख्यालय	50

2-

नोट- जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी वाहन है तथा वे उपरोक्तानुसार पेट्रोल/डीजल का मूल्य प्राप्त करने का विकल्प चुनते है, उन्हें पूल कार की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। पूल कारों की आवश्यकता का आगणन तद्नुसार ही किया जायगा।

(4) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी स्कूटर/मोटर साइकिल है उन्हें प्रतिमाह 25 लीटर पेट्रोल देय होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति व्यय प्रमाणक के आधार पर की जायेगी।

2. अतिथि सत्कार भत्ता

न्यायिक अधिकारियों को निम्न दर से अतिथि सत्कार भत्ता अनुमन्य होगा: -

क0 सं0	न्यायिक अधिकारी की श्रेणी	मासिक भत्ता (रूपये में)
1.	जिला जज/अपर जिला जज	1000
2.	सिविल जज(सीनियर डिवीजन)	750
3.	सिविल जज(जूनियर डिवीजन)	500

3. पोशाक भत्ता

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को 5 वर्ष की अवधि में एक बार रू0-5000 की एक मुश्त राशि पोशाक भत्ता के रूप में देय होगी। इस प्रयोजनार्थ प्रथम पाँच वर्ष की अवधि 21 मार्च, 2002 से प्रारम्भ मानी जायेगी।

4. समाचार पत्र/पत्रिका

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को एक राष्ट्रीय तथा एक क्षेत्रीय समाचार पत्र व एक पत्रिका (पत्रिका का मूल्य 50 रू0 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा) की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति मूल वाउचर के आधार पर की जायेगी।

दूरभाष सुविधा

5. प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के आवास एवं कार्यालय में शासकीय व्यय पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध रहेगी। कार्यालय में सभी टेलीफोन एस.टी.डी. युक्त होंगे, परन्तु आवास पर टेलीफोन के साथ एस.टी.डी. की सुविधा केवल उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों एवं मुख्य न्यायिक महानगरीय मजिस्ट्रेट को ही अनुमन्य होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न सीमाओं के अनुसार नि: शुल्क काल की सुविधा भी अनुमन्य होगी: -

कमांक	अधिकारी की श्रेणी	2 माह के लिए नि: शुल्क काल की सीमा	
		कार्यालय	आवास
1	जिला जज/सत्र न्यायाधीश	3000	2000
2	अतिरिक्त जिला जज/ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	2000	1000
3	सिविल जज(सीनियर डिवीजन) एवं चीफ जूडीशियल/महानगरीय मजिस्ट्रेट	2000	1000
4	सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मजिस्ट्रेट	1500	750

6. **आवास पर विद्युत एवं जल शुल्क की प्रतिपूर्ति**

न्यायिक अधिकारियों के आवास पर उनके द्वारा विद्युत एवं जल के उपयोग के सम्बन्ध में किये गये भुगतान के 50 प्रतिशत के बराबर परन्तु अधिकतम रु0-500 प्रतिमाह की संयुक्त सीमा तक प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। यह प्रतिपूर्ति भुगतान किये गये बिलों को मूलरूप में प्रस्तुत करने पर देय होगी।

7. **आवास/मकान किराया भत्ता**

समस्त न्यायिक अधिकारी अपनी पात्रता के आधार पर नि: शुल्क सरकारी आवास आवंटित करवाने के हकदार होंगे। सरकार द्वारा आवास उपलब्ध न करवाये जाने की स्थिति में शासन के संगत आदेशों के अनुसार सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी को मकान किराया भत्ता देय होगा।

8. **अतिरिक्त प्रभार भत्ता**

न्यायिक अधिकारियों को किसी दूसरे न्यायिक अधिकारी का प्रभार यदि 10 कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिए दिया जाता है तथा न्यायिक अधिकारी इस अवधि मे अतिरिक्त पद के न्यायिक कार्य का निष्पादन करते हैं तो उसे अतिरिक्त प्रभार के पद के वेतनमान के न्यूनतम के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त प्रभार भत्ता अनुमन्य होगा।

9. **अवकाश नगदीकरण**

न्यायिक अधिकारियों को 2 वर्ष में एक माह तक का अवकाश नगदीकरण लेने की सुविध अनुमन्य होगी। ऐसी सुविधा लेते समय अवकाश लेने के लिए अधिकारी को बाध्य नही किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ प्रथम 02 वर्ष की अवधि 21 मार्च, 2002 से प्रारम्भ मानी जायेगी।

..4-

10. <u>अवकाश यात्रा सुविधा</u>

न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक 4 वर्ष की अवधि में एक बार अवकाश यात्रा सुविधा उपलब्ध रहेगी। अवकाश यात्रा का प्रथम बार उपभोग करने के लिए 5 वर्ष की निरन्तर सेवा आवश्यक होगी तथा सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व से इस सुविधा का उपभोग नहीं किया जा सकेगा। न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि में अपने गृह-जनपद के लिए अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी। अवकाश यात्रा सुविधा के लिए प्रथम 04 वर्ष की अवधि 21 मार्च, 2002 से प्रारम्भ मानी जायेगी।

उपरोक्त अवकाश यात्रा सुविधा हेतु रेल/वायुयान की श्रेणी से सम्बन्धित पात्रता की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

11. <u>एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान</u>

न्यायिक अधिकारियों को स्थानान्तरित होने पर 20 कि०मी० से अधिक दूरी पर स्थानान्तरण की दशा में एक माह के मूल वेतन के बराबर तथा 20 कि०मी० से कम की दूरी पर स्थानान्तरण, जिसमें निवास स्थान वास्तव में परिवर्तित हो, की दशा में एक माह के मूल वेतन के एक तिहायी के बराबर धनराशि एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान के रूप में अनुमन्य होगा।

12. <u>चिकित्सा प्रतिपूर्ति/चिकित्सा भत्ता</u>

न्यायिक अधिकारियों एवं उनके परिवार-जन को सरकारी अस्पतालों/औषधालयों, प्रदेश शासन द्वारा चिकित्सा-उपचार हेतु मान्यता-प्राप्त गैर सरकारी अस्पतालों/औषधालयों एवं अन्य चिकित्सालयों में चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदेश शासन के तद्विषयक संगत नियमों/आदेशों के अधीन अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को रुपये 100 प्रतिमाह का चिकित्सा भत्ता भी अनुमन्य होगा।

2- उपर्युक्त आदेश दिनांक 21 मार्च, 2002 से प्रभावी माने जायेंगे परन्तु शासनादेश निर्गत होने से पूर्व की किसी अवधि के लिए इन भत्तों/सुविधाओं का उपयोग करने के लिए यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी की स्वीकृति, व्यय-प्रमाणक प्रस्तुत करने इत्यादि जैसी निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जायगी तथा पूर्व में शासन के आदेशों के अन्तर्गत इन भत्तों/सुविधाओं के अन्तर्गत किये गये भुगतान का समायोजन किया जायेगा।

3- उपरोक्त भत्तों/सुविधाओं के सम्बन्ध में शासन द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेश तदनुसार अतिक्रमित समझे जायेंगे।

4- उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-जी-1-42/दस-06, दिनांक-जनवरी 20,2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या-6058(1)/दो-4-05, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ0 प्र0।
3. निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में)
7. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
9. इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतनपर्ची) प्रकोष्ठ।
10. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 1 एवं 2 तथा आडिट 1 एवं 2, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
11. समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
12. श्री प्रवीण स्वरूप, एडवोकेट-आन-रिकार्ड, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
अनु सचिव